<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) हमीरपुर।</u>

UPHM010033642019

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या /2022

1– **सुरेश कुमार,**
2– **अमर सिंह,**
3– **शिव सिंह पुत्रगण रामऔतार,**
4– **श्रीमती कल्ली उर्फ लक्ष्मी** पत्नी सुरेश कुमार, निवासीगण ग्राम परछछ, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर। .....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष

<u>12.10.2022</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **1–सुरेश कुमार, 2–अमर सिंह, 3–शिव सिंह व 4–श्रीमती कल्ली उर्फ लक्ष्मी** उपरोक्त की ओर से अन्तर्गत **धारा 392,506 भा.द.सं., थाना मौदहा,** जिला हमीरपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है, जो स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे पूर्णतया निर्दोष हैं तथा उनको झूंठा फंसाया गया। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही खारिज हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को परिवाद में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर समन किया गया है। अपराध गंभीर है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में परिवाद की पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण को निजी परिवाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित हैं। प्रस्तुत मामला परिवाद पर आधारित है। कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। जहाँ तक उनके द्वारा घटना कारित किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष विचारण के स्तर पर ही निकाला जा सकता है। प्रकरण के गुण–दोष पर न जाते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः

आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **1–सुरेश कुमार, 2–अमर सिंह, 3–शिव सिंह व 4–श्रीमती कल्ली उर्फ लक्ष्मी** उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उनके प्रत्येक के द्वारा 20,000–20,000/– (बीस–बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल किये जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 12.10.2022

(विनीत कुमार वासवानी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.), हमीरपुर।